प्रेषक,

रामबाबू शर्मा,
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– 713/पन्द्रह दिनांक–22–05–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & outlying Courts of Shahjahanpur District, covered under Orange Zone during the period of lockdown.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1108/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 20 मई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 22–05–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

22/05/2020

(राम बाबू शर्मा),
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

दिनांक–22–05–2020

संलग्नक–यथोक्त।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

विषयः **Novel Corona virus (COVID-19) के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

.माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या– 1108/LXXXVII–CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के सम्मानित प्रशासनिक आदेश संख्या–116/2020 दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में, कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 22.05.2020** को सम्पादित कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 66/कोविड–19/2020–2021 दिनांकित 22.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद शाहजहॉपुर के जोन की स्थिति ऑरेन्ज है और जनपद मुख्यालय शाहजहॉपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कन्टेनमेंट जोन में नहीं है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।

2. माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या– 1108/LXXXVII–CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा सेण्ट्रल बार एसोसिएशन, शाहजहॉपुर के अध्यक्ष व सचिव तथा कोरोना समिति, सुरक्षा एवं अनुपालन समिति के सदस्यों के साथ दिनांक 21.05.2020 को बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार तथा जनपद शाहजहॉपुर की जोन की स्थिति के अनुसार कार्ययोजना प्रस्तावित एवं लागू करने को विचार–विमर्श किया गया था। तदोपरान्त प्रशासनिक आदेश संख्या–116/2020 दिनांकित 21.05.2020 के माध्यम से जनपद शाहजहॉपुर के ऑरेन्ज जोन में होने के अनुसार सीमित संख्या में न्यायालयों को खोलने की कार्य योजना लागू की गयी। माननीय जनपद न्यायाधीश के उक्त प्रशासनिक आदेश की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

3. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ–सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालय कक्षों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फॉगिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।

4. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (thermal scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये दो इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले

व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।

5. अर्जेण्ट प्रकृति के कार्य सम्पादन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीमित संख्या में न्यायालयों को खोला गया है, जिसका विवरण माननीय जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश संख्या– 116/2020 दिनांकित 21.05.2020 में वर्णित है। **आज दिनांक 22.05.2020 को जनपद मुख्यालय पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 12 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं तथा वाह्य न्यायालय तिलहर एवं पुवांया पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं।**

6. **जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या 305 है। आज दिनांक 22.05.2020 को जनपद मुख्यालय पर सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों में कुल 79 कर्मचारीगण उपस्थित आये हैं, तथा वाह्य न्यायालयों में 11 कर्मचारी उपस्थित आयें है, जो कि कुल कर्मचारियों का करीब 30 प्रतिशत है।** सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर ही कार्य सम्पादित कराया गया है। इस सम्बन्ध में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारियों द्वारा उपरोक्त आशय की दैनिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है।

7. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों द्वारा अपने–अपने न्यायालयों के लम्बित मामलों में प्रकृतिवार सामान्य तिथियां नियत की गयी हैं, जिसकी समेकित सूचना सभी न्यायालयों के कक्षों के बाहर सूचना पटल पर, न्यायालय के विभिन्न गेटों पर चस्पा की गयी है तथा एक प्रति सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सभी न्यायालयों द्वारा सामान्य तिथियों को सी.आई.एस. पर भी अपलोड किया जा रहा है और वाट्सएप्प मोबाइल अप्लीकेशन द्वारा भी अधिवक्तागण को सूचित किया गया है।

8. अर्जेण्ट प्रकृति के मामलों के प्रार्थना पत्र को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई–फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

9. जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर द्वारा समर्पित (dedicated) ई–मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई–मेल आई0डी0 पर आज दिनांक 22.05.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं लाया जा रहा है।

11. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता की मांग पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु वर्चुअल कोर्ट पूर्व की भांति स्थापित एवं कार्यशील है। यदि किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता द्वारा पूर्व सूचना देकर वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई की मांग की जाती है, तो यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

12. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।

13. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय कक्षों में नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियॉ रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।

14. वर्णित प्रकृति का अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

15. अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई–कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के डेडीकेटेड ई–मेल सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। सभी न्यायालयों की सामान्य तिथियों की समेकित सूचना वाट्सएप के माध्यम से मोवाईल द्वारा अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक: 22.05.2020

संलग्नक : यथोक्त

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

Seen.
22/05/2020

(सुरजन सिंह) 22.05.20
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

(किरन पाल सिंह) 22.5.2020
अध्यक्ष, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य, कोरोना समिति/प्रभारी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद
न्यायालय, शाहजहॉपुर।

(कुलदीप कुमार) 22/5/2020
सदस्य, कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक, जनपद
न्यायालय, शाहजहॉपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 66 /कोविड–19/2020–2021

दिनांक 22 मई,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–634/XV दिनांक 08 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर अभी ऑरेन्ज जोन से आच्छादित है। तहसील तिलहर, जलालाबाद, पुवायाँ तथा जनपद मुख्यालय कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

22.5.2020

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
नोडल ऑफिसर,
शाहजहाँपुर।

कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर

प्रशासनिक आदेश संख्या – 116 /2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर **(जिलाधिकारी शाहजहाँपुर की अद्यतन आख्या के अनुसार इस जनपद के ऑरेन्ज जोन में आने के आधार पर)** दिनांक 22.05.2020 से कार्य सम्पादन हेतु निर्देशित कार्य योजना के अनुसार खोला जाना है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों को अर्जेन्ट कार्य सम्पादन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना/तौर तरीके तय किये जाने तथा समन्वय हेतु सेन्ट्रल बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं जनपद न्यायालय की कोरोना समिति तथा सुरक्षा व अनुपालन समिति के न्यायिक अधिकारियों के साथ कृत बैठक दिनांकित 21.05.2020 में लिये निर्णयों के अनुसार अग्रिम आदेश तक के लिये निम्नवत कार्य योजना प्रस्तावित एवं लागू की जाती है –

1. कोरोना समिति एवं केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से समन्वय स्थापित करके न्यायालय परिसर की दैनिक साफ-सफाई एवं दो बार सैनीटाइजेशन (चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही) कराया जाना अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने के पूर्व एवं कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त, पूर्व की भांति सुनिश्चित करें। बाह्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण स्थानीय तहसील प्रशासन एवं नगर पालिका से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य सम्पादित करायेंगे। उक्त कार्य की दैनिक रिपोर्ट कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। **यदि जनपद न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय परिसरों का सेनेटाइजेशन नहीं कराया जाता है, तो न्यायालय परिसर कार्य सम्पादन हेतु नहीं खोला जायेगा और उसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।**
2. न्यायालय परिसर में प्रत्येक व्यक्ति को तापीय जाँच (Thermal Scanning) के उपरान्त ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाये और इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का सहयोग प्राप्त किया जाये। साथ ही सुरक्षा एवं अनुपालन समिति यह सुनिश्चित करे कि सुरक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तापीय जाँच की जायेगी और किसी व्यक्ति के बीमार पाये जाने पर उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोकेगें और उपचार हेतु चिकित्सालय जाने के लिये निर्देशित करेंगें। तापीय जॉच में सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वादकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा सुरक्षा बल के सदस्यों का समुचित सहयोग किया जायेगा।
3. **कोरोना समिति को आदेशित किया जाता है कि वह जिलाधिकारी कार्यालय से इस आशय की दैनिक रिपोर्ट मँगाया जाना सुनिश्चित करें कि जनपद शाहजहांपुर में कोरोना वायरस के खतरे का क्या स्तर है और इस जनपद की अँचलिक स्थिति (Status in respect of Zone of the district, whether Green/Orange/ Red) अद्यतन क्या है ? क्या जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों के परिसर कन्टेनमेन्ट जोन में है अथवा नही ?**
4. सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों/गाइड लाईन का अनुपालन किया जायेगा।
5. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की समर्पित (Dedicated) दूरभाष सेवा 05842-222281 तथा 8707433601 है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह सभी अधिवक्तागण, वादकारीगण को उक्त दूरभाष सेवा के माध्यम से एवं अन्य प्रकार से जोन के अनुसार न्यायालयों के सम्बन्ध में कार्य योजना, विभिन्न न्यायालयों के बैठने की समयावधि, ई-कोर्ट्स सर्विसेस एप, जनपद न्यायालय की वेबसाइट, वादों के नियतीकरण/काजलिस्ट, न्यायालयों द्वारा नियत अग्रिम सामान्य तिथि आदि की जानकारी प्रचारित व प्रसारित कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. न्यायालयों की कार्यवाहियों के दौरान पुरुष अधिवक्तागण सफेद शर्ट, हल्के रंग का पैन्ट एवं बैंड धारण कर सकेंगे तथा महिला अधिवक्तागण शालीन परिधान (Sober Dress) एवं बैंड धारण कर सकेंगी तथा न्यायिक अधिकारीगण गाऊन एवं कोट धारण करने से मुक्त रहेंगे।
7. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मेरे न्यायालय के साथ-साथ निम्नलिखित न्यायालय दैनिक रूप से कार्यशील होंगे –

i. प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,
ii. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को
iii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2/विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट,
iv. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–4/विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट,
v. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–8/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
vi. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–9/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट,
vii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–5/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
viii. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ix. सिविल जज (सी०डि०),
x. ए० सी० जे० एम० प्रथम/ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
xi. सिविल जज (जू०डि०),
xii. सिविल जज (जू०डि०) तिलहर,
xiii. सिविल जज (जू०डि०) पुवांया,
xiv. सिविल जज (जू०डि०) जलालाबाद

8. उपरोक्त वर्णित न्यायालयों में न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा ही कार्य सम्पादित कराया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक न्यायालय चक्रीय व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। शेष सभी न्यायालय, जो कार्य सम्पादन हेतु खोले नहीं गये हैं, यथासंभव चक्रीय क्रमानुसार एक कर्मचारी की उपस्थिति द्वारा ही अपना कार्य सम्पादित करायेंगे। सभी पीठासीन अधिकारीगण द्वारा इस आशय की दैनिक रिपोर्ट भी प्रतिदिन सायं 04.00 बजे से पूर्व कोरोना समिति को प्राप्त करायी जायेगी कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अपना कार्य सम्पादित कराया गया है।

9. जनपद न्यायालय के प्रशासनिक अनुभागों के सभी प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा ही कार्य सम्पादित कराया जाये और इस हेतु चक्रीय व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। जनपद न्यायालय के प्रशासनिक अनुभाग निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यशील होंगे –

प्रशासनिक अनुभाग का नाम	**कार्यालय खुलने का दिन**	**कार्यालय में उपस्थिति हेतु चक्रीय क्रमानुसार अनुमन्य कर्मचारियों की संख्या**
प्रशासनिक एवं लेखा अनुभाग	प्रतिदिन	08
नजारत अनुभाग	प्रतिदिन	10
कम्प्यूटर अनुभाग	प्रतिदिन	05
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग	प्रतिदिन	03
अभिलेखागार	प्रतिदिन	03
पुस्तकालय	प्रतिदिन	01

10. उक्त सभी न्यायालयों द्वारा आवश्यक प्रकृति के कार्य, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के सम्बन्धित पत्र के **ऑरेन्ज जोन से सम्बन्धित खण्ड के बिन्दु संख्या 04 में वर्णित** हैं, के अनुसार, सम्पादित किये जायेंगे। शेष सभी मामलों में न्यायालयों द्वारा **सामान्य तिथियां नियत** करते हुये, अपने–अपने कार्यालय का लम्बित कार्य एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित/पूर्ण किया जायेगा।

11. अन्य सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण अपने–अपने आवासीय कार्यालय से ही अपने कार्यालय के लम्बित कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पादित कर सकते हैं। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। **इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा अपने किसी एक कर्मचारी द्वारा ही, नियत वादों में सामान्य तिथियाँ लगाने का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।**

12. अर्जेन्ट प्रकृति के कार्य को सम्पादित करने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, उनके कर्मचारीगण एवं प्रशासनिक अनुभागों के कर्मचारीगण को न्यायालय की सम्पूर्ण अवधि तक न्यायालय

परिसर में रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके न्यायालय/कार्यालय/प्रशासनिक अनुभाग का कार्य पूर्ण हो चुका है तो वह न्यायालय परिसर छोड़कर जा सकते हैं।

13. किसी न्यायिक अधिकारी/विद्वान अधिवक्ता की मांग (पूर्व सूचना के आधार पर ही) पर वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

14. ऑरेन्ज जोन के अनुसार वर्णित प्रकृति के कार्य को सम्पादित करने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि उनके न्यायालय में किसी तिथि पर कोई भी वर्णित प्रकृति का मामला सुनवाई हेतु लम्बित नहीं है, तो उन्हें न्यायालय परिसर में आने की आवश्यकता नहीं है और वह उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगे।

15. सभी अधिवक्तागण एवं वादकारीगण, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित पत्र के ऑरेन्ज जोन से सम्बन्धित खण्ड के बिन्दु संख्या 04 में वर्णित अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों के आवेदन/प्रार्थनापत्र ज्यूडीशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई-फाइलिंग काउन्टर पर दाखिल करेंगे, जिन्हें सी०आई०एस० पर नियमानुसार दर्ज किया जायेगा । दाखिला के समय सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जायेगा। केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि ई-फाइलिंग काउन्टर के बाहर खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये दो गज की दूरी पर सर्किल/निशान बनाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुगमतापूर्वक किया जा सके। इस हेतु अधिवक्तागण एवं वादकारियों का सहयोग अपेक्षित है। सभी अधिवक्तागण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा दाखिल किये जाने वाले अर्जेन्ट प्रार्थना पत्रों पर उनका मोबाइल नम्बर अंकित हो, जिससे सम्बन्धित प्रार्थनापत्र में किसी कमी की दशा में उन्हें अविलम्ब सूचित किया जा सके। पक्षकारों द्वारा लिखित बहस भी ज्यूडीशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई-फाइलिंग काउन्टर पर दाखिल की जा सकती है जिसे सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराया जायेगा।

16. सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव से पुनः यह अपेक्षा है कि वह अधिक से अधिक अधिवक्तागण एवं वादकारियों को ई-कोर्ट्स सर्विसेस एप के प्रयोग के लिये जागरुक करें। यह एप मोबाइल फोन पर गूगल प्ले-स्टोर से डाऊनलोड किया जा सकता है । इस एप के प्रयोग द्वारा वादों की तिथि एवं कार्यवाहियों की जानकारी सुगमतापूर्वक एवं घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को आदेशित किया जाता है कि वह जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की कम्प्यूटर वेब-साइट पर भी उक्त जानकारी का प्रसार करें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने कार्यक्रमों के दौरान इस एप के प्रयोग के लिये सभी को जागरुक एवं प्रेरित करें। साथ ही न्यायालय के सभी सहज दृश्य स्थलों पर भी उक्त एप के प्रयोग के लिये सूचना चस्पा करायी जाये जिससे तिथि देखने के लिये न्यायालय में वादकारियों की अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

17. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर द्वारा समर्पित (Dedicated) ई-मेल बनाया गया है। जिसकी आई०डी० districtcourtspn@gmail. com है। कोई भी अधिवक्ता इस ई-मेल पर भी जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, आवश्यक प्रकृति के अन्य प्रार्थनापत्र एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें सुनवाई हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराया जायेगा। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त मामलों का विधि अनुसार निस्तारण किया जायेगा।

18. सभी जमानत प्रार्थनापत्रों, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों की प्रति अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्राप्त करायी जायेगी। यदि सम्बन्धित प्रकृति का प्रार्थनापत्र कम्प्यूटर ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति ई-मेल के माध्यम से ही अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा प्राप्त करा दी जाये। नोडल अधिकारी इस सम्बन्ध में अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी से आवश्यक समन्वय स्थापित करें।

19. ऑरेन्ज जोन के अनुसार वर्णित प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु जिन न्यायालयों को विनिर्दिष्ट किया गया है, केवल वही न्यायालय कक्ष खोले जायेंगे। उन न्यायालय कक्षों में अधिवक्तागण के बैठने के लिये केवल 04 कुर्सियों को उचित दूरी पर रखी जायें। केन्द्रीय नाजिर उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पालन सभी व्यक्तियों अर्थात कर्मचारीगण, वादकारीगण, अधिवक्तागण आदि द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

20. न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को फेस-मास्क अनिवार्य रूप से

धारण करना होगा। यदि उनके पास फेस मास्क उपलब्ध नहीं है तो वह गमछे अथवा सूती रूमाल को दोहरा करके मुंह – नाक को ढककर ही न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे। उपरोक्त वर्णित प्रकृति के मामलों की सुनवाई के दौरान खोले जाने वाले न्यायालय कक्षों के प्रवेश द्वार पर उस न्यायालय के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी द्वारा अल्कोहल मिश्रित द्रव्य/सेनेटाइजर से न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सेनेटाइज किया जायेगा और न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में प्रवेश करने वाले लोगों को नियंत्रित भी किया जायेगा। सुरक्षा बल के सदस्य भी यह सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी न्यायालय कक्ष में सभी लोग मास्क लगाकर ही प्रवेश करें तथा एक साथ अधिक संख्या में लोगों का प्रवेश न हो। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

21. ऑरेन्ज जोन के अनुसार वर्णित प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण पक्षकारों की न्यायालय में उपस्थिति को रोकेंगे नही, जब तक कि वह बीमारी से ग्रसित नहीं है। परन्तु वह सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उनके प्रवेश को सीमित करने के लिये अधिकृत होंगे।

22. न्यायालय परिसर में सभी व्यक्तियों के प्रवेश को नियन्त्रित करने के लिये वर्ष 2020 के लिये चयनित **80 शपथ–आयुक्तों के लिये निम्न व्यवस्था** प्रतिपादित की जाती है –

   i. शपथ–आयुक्त अधिवक्ता की सूची में क्रमांक 01 से 27 में उल्लिखित शपथ–आयुक्त अधिवक्तागण सप्ताह के दिन सोमवार एवं गुरुवार को ही उपस्थित आयेंगे।

   ii. शपथ–आयुक्त अधिवक्ता की सूची में क्रमांक 28 से 54 में उल्लिखित शपथ–आयुक्त अधिवक्तागण सप्ताह के दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को ही उपस्थित आयेंगे।

   iii. शपथ–आयुक्त अधिवक्ता की सूची में क्रमांक 55 से 80 में उल्लिखित शपथ–आयुक्त अधिवक्तागण सप्ताह के दिन बुधवार एवं शनिवार को ही उपस्थित आयेंगे।

23. न्यायालय परिसर में सभी व्यक्तियों के प्रवेश को नियन्त्रित करने के लिये वर्ष 2020 के लिये पंजीकृत **20 पिटीशन राइटर/टंकक के लिये निम्न व्यवस्था** प्रतिपादित की जाती है –

   i. पिटीशन राइटर/टंकक के पंजीकरण की सूची में क्रमांक 01 से 07 में उल्लिखित पिटीशन राइटर/टंकक सप्ताह के दिन सोमवार एवं गुरुवार को ही उपस्थित आयेंगे।

   ii. पिटीशन राइटर/टंकक के पंजीकरण की सूची में क्रमांक 08 से 14 में उल्लिखित पिटीशन राइटर/टंकक सप्ताह के दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को ही उपस्थित आयेंगे।

   iii. पिटीशन राइटर/टंकक के पंजीकरण की सूची में क्रमांक 15 से 20 में उल्लिखित पिटीशन राइटर/टंकक सप्ताह के दिन बुधवार एवं शनिवार को ही उपस्थित आयेंगे।

24. विचाराधीन बन्दियों के मामलों का रिमाण्ड कार्य अग्रिम आदेश तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जायेगा और विचाराधीन बन्दियों को किसी भी दशा में सुनवाई हेतु न्यायालय में नहीं बुलाया जायेगा। **उक्त रिमाण्ड कार्य पूर्व आदेशानुसार (प्रशासनिक आदेश संख्या – 114/2020 दिनांकित 18 05.2020 के अनुसार) ही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।**

25. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिन मामलों की सुनवाई नहीं की जानी है, सभी न्यायालयों द्वारा उनमें सामान्य तिथि नियत करते हुये उसकी सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्रातः 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त करा दी जाये तथा एक प्रति अपने – अपने न्यायालय कक्ष के बाहर सूचना पटल पर चस्पा की जाये। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा सभी न्यायालयों की संकलित सूचना को न्यायालय परिसर के गेट संख्या 02 एवं 04 पर चस्पा करायी जाये और उसकी एक प्रति अधिवक्ता संघ को भी प्रेषित की जाये। सामान्य तिथि की जानकारी वाट्सएप मोबाइल एप के माध्यम से भी अधिवक्तागण के मध्य प्रसारित करा दी जाये। दैनिक समाचार पत्रों में भी सामान्य तिथि की जानकारी प्रकाशित करायी जाये। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वादों में नियत सामान्य तिथि को सी०आई०एस० पर भी अविलम्ब फीड करा दिया जाये।

26. न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ का प्रवेश रोकने के लिये सभी अधिवक्तागण से अपेक्षा की गयी है कि केवल वहीं अधिवक्तागण न्यायालय आयें जिनके वर्णित प्रकृति के मामलों की सुनवाई की जानी है। वह अधिवक्ता अपने साथ अनावश्यक साथियों एवं वादकारियों को न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में लाने से बचें। उनके मामले की सुनवाई के उपरान्त वह न्यायालय कक्ष छोड़कर अपने साथी अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दें। न्यायालय में नियत वादों की तिथि की जानकारी के लिये अनावश्यक न्यायालय

आने से बचें। न्यायालय में नियत वादों की तिथि की जानकारी कम्प्यूटर वेबसाइट, ई–कोर्ट्स सर्विसेस एप, गेट संख्या 02 व 04 एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा सूचना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वादकारीगण अपने – अपने अधिवक्तागण से भी अपने मामलों की तिथि की जानकारी दूरभाष से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये उन्हे न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

27. न्यायालय परिसर का गेट संख्या 06 अग्रिम आदेश तक पूर्ववत बन्द रहेगा। न्यायालय परिसर के गेट संख्या 01 से अधिकारी एवं कर्मचारीगण, गेट संख्या 02 से वादकारीगण एवं अन्य आगन्तुक तथा गेट संख्या 04 से केवल अधिवक्तागण ही पूर्व के आदेशानुसार प्रवेश करेंगे ।
28. न्यायालय परिसर की कैन्टीन अग्रिम आदेश तक पूर्ववत बन्द रहेगी।
29. सुरक्षा बल के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में वादकारियों के प्रवेश को निर्बन्धित न किया जाये बल्कि सभी सावधानियों को अपनाते हुये आवश्यकतानुसार सीमित प्रवेश दिया जाये।
30. केन्द्रीय नाजिर एवं न्यायालय प्रबन्धक को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर के गेटों एवं अन्य सहज दृश्य स्थलों पर निम्न आशय की सूचना लिखवायें/चस्पा करायें कि –
    i. न्यायालय परिसर में फेस मास्क लगाकर ही प्रवेश करें,
    ii. सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें,
    iii. न्यायालय परिसर में थूकना, पान–मसाला खाना, धूम्रपान करना वर्जित एवं दण्डनीय है,
    iv. वादों की तिथि की जानकारी कम्प्यूटर वेबसाइट, ई–कोर्ट्स सर्विसेज एप अथवा अपने अधिवक्ता से दूरभाष से प्राप्त कर सकते हैं,
    v. न्यायालय परिसर में अनावश्यक विचरण न करें एवं एकत्रित न हों ।
31. जिन न्यायालयों द्वारा अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों की सुनवाई की जा रही है वह प्रतिदिन सायं 04.00 बजे अथवा उसके पूर्व इस आशय की सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में सम्बन्धित प्रकृति के कितने प्रार्थनापत्र / मामले दाखिल हुये और उनके द्वारा कितने मामलों का निस्तारण किया गया।
32. सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण अपेक्षित सूचनाओं को ससमय प्रशासनिक कार्यालय एवं कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना समिति सूचनाओं को संकलित करके दैनिक अनुपालन आख्या माननीय उच्च न्यायालय को संप्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाये।

आदेश की एक–एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये तथा सार्वजनिक सूचना पटल, न्यायालय के विभिन्न गेटों, बाह्य न्यायालयों के सूचना पटल इत्यादि पर चस्पा करायी जाये।

आदेश की प्रति जनपद न्यायालय की कम्प्यूटर वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्य–योजना के प्रचार प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी को सम्पूर्ण कार्ययोजना के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

इस कार्य योजना/आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये ।

R.B. Sharma, 21.05.2020

दिनांक – 21.05.2020

(राम बाबू शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर ।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 20.05.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

Date-22.05.2020

Sr. No.	Name of the Court	NUMBER OF CASES TAKEN UP	NUMBER OF CASES DECIDED
1	District & Sessions Judge	26	1
2	Principal Judge, Family Court	1	0
3	A.D.S. J, Court No. 1	14	2
4	A.D.S. J, Court No. 2	27	10
5	A.D.S. J, Court No. 4	0	0
6	A.D.S. J, Court No. 8	3	1
7	A.D.S. J, Court No. 9	3	3
8	A.D.S. J, Court No. 5	44	8
9	Chief Judicial Magistrate	24	24
10	Civil Judge (S.D.)	3	0
11	A.C.J.M- I	4	1
12	Civil Judge (J.D.)	2	1
	Sub Total	**151**	**51**
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	15	6
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	5	3
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	0	0
	Sub Total	**20**	**9**
	Grand Total	**171**	**60**

22/5/2020